

36/2016

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 06 वर्ष से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादी को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आज वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, जिन्हें न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय में आवाजे दिलवाई गईं। बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

